न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

पीठासीन अधिकारी : श्री जगदीश सिंह आशिया आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या 236 / 2022

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. लाखाराम पुत्र सुजाणाराम 2. बेसराराम पुत्र हब्ताराम 3. वालाराम पुत्र हब्ताराम जाति कलबी निवासी लोलावा तहसील सिणधरी		1. तहसीलदार (भू.अ.) सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :–

1. श्री जोगराज पोटलिया वकील प्रार्थीगण उपस्थित।
2. नायब तहसीलदार (उपखण्ड कार्यालय)राज.पैरोकार विप्रार्थी सं. 1 की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक– 06.03.2025

1.संक्षेप में आवेदन पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है, कि प्रार्थी सं. 1 की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 158 रकबा 4.3524 हैक्टयर व प्रार्थी सं. 2 से 3 की खातेदारी खेत खसरा संख्या 158/1 रकबा 4.3848 हैक्टयर भूमि ग्राम लोलावा पटवार मण्डल गोलिया जीवराज तहसील सिणधरी में अवस्थित है, जो मूल खसरा नम्बर 158 से विभक्त होकर कायम हुए है। मूल खसरा नम्बर से विभक्त होकर नवसृजित खसरान् [illegible] काश्तकारान के कब्जे काश्त के अनुसार न होकर राजस्व कार्मिकों की भूल से कब्जा [illegible] विपरीत लटठा ट्रेस में कर दी गई, जबकि प्रार्थीगण का मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा [illegible] रहवासी ढाणी, टांके, चारबाड़े आदि बने हुए है, इस प्रकार विपरीत तरमीम [illegible] को अपूरणीय क्षति हो [illegible] अतः विवादित भूमि की मौका कब्जा स्थिति के अनुसार तरमीम दुरूस्ती करवानें हेतु यह आवेदन पेश किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:14:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

2 प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थी संख्या 01 की ओर से नायब तहसीलदार(उपखण्ड कार्यालय) राज.पैरोकार उपस्थित हुए। विवादित भूमि की मौका जांच रिर्पोट तहसीलदार सिणधरी से तलब की गई।

3.उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्य को दोहराते हुए कथन किया,कि प्रार्थी सं. 1 की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 158 रकबा 4.3524 हैक्टयर व प्रार्थी सं. 2 से 3 की खातेदारी खेत खसरा संख्या 158/1 रकबा 4.3848 हैक्टयर भूमि ग्राम लोलावा पटवार मण्डल गोलिया जीवराज तहसील सिणधरी में अवस्थित है, जो मूल खसरा नम्बर 158 से विभक्त होकर कायम हुए है। मूल खसरा नम्बर से विभक्त होकर नवसृजित खसरान् की तरमीम मौके पर विद्यमान पक्षकारान के कब्जे काश्त के अनुसार न होकर राजस्व कार्मिकों की भूल से कब्जा काश्त के विपरीत लटठा ट्रेस में कर दी गई, जबकि प्रार्थीगण का मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा हैतथा रहवासी ढाणी, टांके, चारबाड़े आदि बने हुए है, इस प्रकार विपरीत तरमीम होने के कारण प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति हो रही है। प्रार्थीगण द्वारा अपने खेत की जमाबंदी के साथ नक्शा प्रति नकल लेने पर पता चला कि मौके पर कब्जा काश्त के विपरीत रिकॉर्ड में तरमीम कर दी गई है। अपनी बहस को जारी रखतें हुए आगे ओर कथन किया कि तहसीलदार सिणधरी ने अपनी मौका जांच रिपोर्ट में तरमीम दुरूस्ती करने की सिफारिश की गई है। जो तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार विवादित भूमि की लटढा नक्शा में तरमीम दुरूस्ती करवानें का आदेश फरमावें।

4.विप्रार्थी की ओर से राज.पैरोकार नायब तहसीलदार ने अपनी बहस में जाहिर किया,कि तहसीलदार सिणधरी की रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण का निस्तारण किया जावें।

5.हमनें उभयपक्ष की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड,दस्तावेजात एवं मौका जांच रिर्पोट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया। जिसमें पाया ग्राम लोलावा पटवार मण्डल गोलिया जीवराज तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 158 व 158/1 की भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी में पृथक दर्ज है तथा तहसीलदार सिणधरी की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण का मौके पर कब्जा काश्त के विपरीत लटढा नक्शा में तरमीम हो रखी है,जो कि गलत तरमीम हो रखी है। जिसकी पुष्टि तहसीलदार सिणधरी की मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 20.11.2024 से होता है,इस प्रकार प्रार्थीगण के मौके पर कब्जा काश्त से विपरीत तरमीम होनें के कारण प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति भी हो रही है,जबकि प्रार्थीगण का मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार ही राजस्व रिकॉर्ड नक्शा लटढा में तरमीम होनी चाहिए। ताकि राजस्व रिकॉर्ड की एकरूपता बनी रहें। तहसीलदार सिणधरी ने भी अपनी मौका जांच रिर्पोट में मौका स्थिति के अनुसार तरमीम दुरुस्त करने की अनुशंषा की गई है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है,कि विवादित भूमि के खातेदारान की मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड नक्शा लटढा में तरमीम नहीं हो रखी है। जो प्रार्थीगण मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार रिकॉर्ड में तरमीम दुरूस्त करवानें के हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:14:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

6. लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम लोलावा पटवार मण्डल गोलिया जीवराज तहसील सिणधरी की मूल खेत खसरा संख्या 158 से विभक्त होकर कायम हुए नवीन खसरा नम्बरान् भूमि की विदयमान तरमीम निरस्त की जाकर तहसीलदार सिणधरी की मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 20.11.2024 के संलग्न प्रस्तावित नक्शा अनुसार तरमीम दुरूस्त करने के आदेश पारित किये जातें हैं,उक्त नक्शा आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार सिणधरी को तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम दुरूस्ती सुनिश्चित करनें हेतु आदेशित किया जाता है।

(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

आदेश आज दिनांक 06.03.2025 को लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:14:13 IST
Reason: SelfAttested